

शासकीय सेवकों एवं उनके परजनों के इलाज के लिये राज्य के बाहर के 41 अस्पतालों को मान्यता

चर्चा में क्यों?

20 अप्रैल, 2023 को छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग से मिली जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ शासन ने शासकीय सेवकों और उनके आश्रित परजनों के इलाज के लिये राज्य के बाहर स्थिति 41 अस्पतालों को मान्यता दी है।

प्रमुख बटु

- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा मंत्री टी.एस. सहिदेव के अनुमोदन के बाद चिकित्सा शिक्षा विभाग ने मान्यता प्राप्त अस्पतालों की सूची मंत्रालय से जारी की है।
- शासकीय कर्मियों के इलाज के लिये चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिये इन अस्पतालों को मान्यता मिली है।
- चिकित्सा शिक्षा विभाग ने शासकीय कर्मियों और उनके परजनों के उपचार के लिये वगित 11 अप्रैल को 92 अस्पतालों की सूची जारी की थी जिनमें प्रदेश के विभिन्न शहरों के 91 और राज्य के बाहर स्थिति एक अस्पताल नीत क्लिनिकस प्राइवेट लिमिटेड रामदासपेठ, नागपुर शामिल था।
- विभाग द्वारा 19 अप्रैल को जारी मान्यता प्राप्त अस्पतालों की सूची में राज्य के बाहर स्थिति 40 अस्पताल शामिल हैं। इस तरह शासकीय सेवारत अधिकारियों-कर्मचारियों के इलाज के लिये मान्यता प्राप्त अस्पतालों की कुल संख्या अब 132 हो गई है।
- चिकित्सा शिक्षा विभाग ने राज्य शासन के सभी विभागों, राजस्व मंडल बलिसपुर के अध्यक्ष, सभी विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों और कलेक्टरों को मान्यता प्राप्त अस्पतालों की सूची प्रेषित की है।